

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/2/2020

जयपुर, दिनांक 20.03.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 21.03.2020 एवं 22.03.2020 (शनिवार एवं रविवार) राजपत्रित अवकाश के दिन निदेशालय स्थित समस्त कार्यालय एवं राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालय खुले रखे जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति० प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
2. शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2/3) विभाग, राज० जयपुर।
3. परियोजना निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक (आरएमएससीएल) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य/आरसीएच/एड्स/आईईसी) निदेशालय।
6. वित्तीय सलाहकार निदेशालय।
7. अति० निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन/चिकित्सा प्रशासन/आरसीएच/ग्रामीणस्वास्थ्य) निदेशालय।
8. औषधि नियंत्रक निदेशालय।
9. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें समस्त जोन राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राज० जयपुर।
11. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को सम्बन्धित की मेल आईडी पर उपलोड करने का श्रम करें।



उप शासन सचिव